


आदेश

दिनांक 20.08.2019 के संध्या में सारण (छपरा) जिला के मढ़ौरा थाना अंतर्गत पुलिस एवं अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ में सिपाही 873 रजनीश कुमार को जांच एव हाथ में गोली लग गयी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गये। इस संबंध में मढ़ौरा थाना कांड सं०-596/19, दिनांक-20.08.19, धारा-147/148/149/323/325/326/379/332/333/307/302/504/120(बी) भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए/26/27/35 शस्त्र अधिनियम दर्ज है।

उपर्युक्त घटना में गंभीर रूप से घायल सिपाही 873 रजनीश कुमार को 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र का सहाय्य अनुदान गृह(आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-04/पी०-1-10-09/2010 गृ०आ०-7240 पटना दिनांक 01.09.2010 के आलोक में निम्न प्रकार स्वीकृत किया जाता है:-

क०	घायल कर्मी का नाम/ पदनाम / जिला इकाई	प्रक्षेत्रीय पदाधिकारी का ज्ञापांक / तिथि	सहाय्य अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सिपाही 873 रजनीश कुमार, सारण जिला बल	बिहार पुलिस मेन्स एसोसियेशन, केन्द्रीय कार्यालय, नवीन आरक्षी केन्द्र, पटना का पत्रांक-774, दिनांक 21.08.19	1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र
कुल:- 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र			

- स्तम्भ 4 में कर्णांकित कुल राशि 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र का विकलन मुख्य शीर्ष- 2055 पुलिस, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष-113 पुलिस कर्मियों का कल्याण, उप शीर्ष-0006 अनुग्रह अनुदान, मांग संख्या-22 तथा विपत्र कोड-22-2055001130006 के विषय शीर्ष-0006.37.01 अनुग्रह अनुदान, अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित राशि से होगा।
- राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सारण(छपरा) होंगे तथा राशि की निकासी सारण(छपरा) कोषागार से की जायेगी।
- राशि सी०एफ०एम०एस० द्वारा उक्त पुलिस कर्मी के बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
- इसकी सूचना महालेखाकार(ले० एवं हक०), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार को दी जा रही है।



 पुलिस महानिदेशक,
 बिहार, पटना।

ज्ञापांक 316/438278/19/वित्त
50-1-251-2019

दिनांक:- 27.08.2019

प्रतिलिपि:-

- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग(आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/अपर वित्त आयुक्त(व्यय) बिहार, पटना/महालेखाकार(ले० एवं हक०), बिहार, पटना/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र छपरा/पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- पुलिस अधीक्षक, सारण(छपरा)/कोषागार पदाधिकारी, सारण(छपरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


 पुलिस महानिदेशक,
 बिहार, पटना।